यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय कमिश्नर (मुख्यालय), राज्य कर देहरादून, आहरण एवं संवितरण अधिकारी राज्यकर देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय कमिश्नर (मुख्यालय), राज्य कर देहरादून, आहरण एवं संवितरण अधिकारी राज्यकर देहरादून के माह 04/2017से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री नीरज कुमार एवं श्री सिराज हुसैन, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 14.05.2018 से 19.05.2018 तक श्री एन.के.सिन्हा, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री नीरज कुमार एवं श्री सिराज हुसैन, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 09.05.2017 से 12.05.2017 तक श्री एन.के.सिन्हा, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व माह 04/2016 से 03/2017 तक एवं व्यय हेतु माह 04/2016 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान में राजस्व माह 04/2017 से 03/2018 तक एवं व्यय हेतु माह 04/2017 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।

2.(i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः**

(ii) (अ) **राजस्व विवरण**ः

विगत तीन वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (₹ लाख में)
2015-16	शून्य
2016-17	
2017-18	

(II) (ब) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य	बचत
	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	(-)	(+)
2015-16	737.25	586.01	-	-	-	151.24
2016-17	994.70	559.38	-	-	-	435.32
	1388.01	1253.03	-	-	-	134.98

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
लागू नहीं					

(iii) **इकाई को बजट आवंटन** इकाई द्वारा आहरण वितरण का कार्य नहीं किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई .....'A'... श्रेणी की है।

(iv) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव- आयुक्त कर- एडिशनल कमिश्नर- ज्वाइन्ट कमिश्नर- डिप्टी- सहायक आयुक्त- वाणिज्य कर अधिकारी

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **कार्यालय कमिश्नर (मुख्यालय), राज्य कर देहरादून, आहरण एवं संवितरण अधिकारी राज्यकर देहरादून** को आच्छादित कया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय कमिश्नर (मुख्यालय), राज्य कर देहरादून, आहरण एवं संवितरण अधिकारी राज्यकर देहरादून** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(Vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :

व्यय: **08/2017, 02/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।**

(vii) योजना का चयन :- शून्य

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एंव लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-2 ख

प्रस्तर सं.01- औचित्यपूर्ण बजट की माँग न किये जाने के कारण बजट का समर्पण ₹ 7.24 करोड़।

उत्तराखण्ड राज्य सीमित वित्तीय संसाधनों वाला राज्य है जिसको दृष्टिगत रखते हुये कार्यालयों द्वारा यथा संभव औचित्यपूर्ण बजट की मांग शासन से की जानी अपेक्षित है। जिससे कि सीमित बजट उपलब्धता के दृष्टिगत समस्त कार्यालयों को यथासंभव पर्याप्त बजट आवंटित किया जा सके।

कार्यालय ज्वाइंट कमिश्नर (मुख्यालय), आहरण एवं वितरण अधिकारी राज्य कर देहरादून के बजट सम्बन्धी पत्रावली की लेखापरीक्षा जांच में यह पाया गया कि संबंधित कार्यालय को वर्ष 2015-16 से 2017-18 के मध्य कुल 31,19,96,178/- का बजट आवंटित किया गया। जिसके विरूद्ध कार्यालय द्वारा मात्र 23,98,41,419/- का व्यय प्रर्दशित करते हुए अब शेष 7,21,54,759/- (23.13%) शासन को समर्पित कर दिया गया था।

इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुये स्पष्ट था कि कार्यालय द्वारा शासन से की गई बजट की मांग औचित्य पूर्ण नहीं थी।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'क' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ख' प्रस्तर संख्या

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या : **शून्य**

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण : शून्य

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

भाग-V

<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय कमिश्नर (मुख्यालय), राज्य कर देहरादून, आहरण एवं संवितरण अधिकारी राज्यकर देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:
2. **सतत् अनियमितताएः**

   टिप्पणी- शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
1	श्री जगदिश सिंह	सचिव वित्त

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय कमिश्नर (मुख्यालय), राज्य कर देहरादून, आहरण एवं संवितरण अधिकारी राज्यकर देहरादून** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आ ख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

लेखापरीक्षा अधिकारी/राजस्व क्षेत्र